

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:— 71/2016 (2016/00133) वाद पत्र

अनवान

1. माधुलाल पिता चतुर्भज ब्राह्मण निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।

वादी

बनाम

1. सुवालाल पिता प्रभुलाल सुनार निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रामलाल पिता प्रभुलाल सुनार निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. जगदीश पिता प्रभुलाल सुनार निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. श्रवण पिता प्रभुलाल सुनार निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. सत्यनारायण पिता प्रभुलाल सुनार निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. राधा पुत्री प्रभुलाल सुनार निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. सीता पुत्री प्रभुलाल सुनार निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. कंकु बेवा प्रभुलाल सुनार निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. जसवन्त पिता ओमप्रकाश सुनार निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. मनीष पिता ओमप्रकाश सुनार निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड झड़ोल जरिये व्यवस्थापक तहसील रायपुर
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. महेश दाधीच -

अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

दिनांक 22.10.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 12.03.2020 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम झड़ोल पटवार हल्का झड़ोल तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 864 रकबा 0.92 है०, भूमि में वादी का 1/3 हिस्से का बाई मीट्स बोर्ड्स के आधार पर विभाजन करवा स्वंत्रत राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खोल जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी जारी की गई एव तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।





तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 13.10.2020 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम झड़ौल तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 864/2 रकबा 0.31 है0 भूमि माधुलाल पिता चतरभुज ब्राह्मण सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 864/1 रकबा 0.61 है0 भूमि सुवालाल, रामलाल, जगदीश, श्रवण, सत्यनारायण पिता प्रभुलाल, कंकु बेवा प्रभुलाल, राधा, सीता पुत्रीया प्रभुलाल 1/2 जसवंत, मनीष पिता ओमप्रकाश 1/2 सुनार सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर जमाबन्दी के नाम रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकें अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Sun
22-10-2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा),
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:— 71/2016 (2016/00133) वाद पत्र

अनवान

1. माधुलाल पिता चतुर्भुज ब्राह्मण निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।

वादी

बनाम

1. सुवालाल पिता प्रभुलाल सुनार निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रामलाल पिता प्रभुलाल सुनार निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. जगदीश पिता प्रभुलाल सुनार निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. श्रवण पिता प्रभुलाल सुनार निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. सत्यनारायण पिता प्रभुलाल सुनार निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. राधा पुत्री प्रभुलाल सुनार निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. सीता पुत्री प्रभुलाल सुनार निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. कंकु बेवा प्रभुलाल सुनार निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. जसवन्त पिता ओमप्रकाश सुनार निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. मनीष पिता ओमप्रकाश सुनार निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड झड़ोल जरिये व्यवस्थापक तहसील रायपुर
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्तु इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम झड़ोल तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 864/2 रकबा 0.31 है0 भूमि माधुलाल पिता चतुर्भुज ब्राह्मण सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 864/1 रकबा 0.61 है0 भूमि सुवालाल, रामलाल, जगदीश, श्रवण, सत्यनारायण पिता प्रभुलाल, कंकु बेवा प्रभुलाल, राधा, सीता पुत्रीया प्रभुलाल 1/2 जसवंत, मनीष पिता ओमप्रकाश 1/2 सुनार सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर जमाबन्दी के नाम रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 22.10.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।



Sundar Lal Bumboda
22.10.2020
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा